न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 39/2024 अपील

1. सुश्री मुस्कान हिरण पुत्री मुकेश हिरण निवासी डाकघर के पास, हिरण भवन तहसील एवं जिला भीलवाड़ा –अपीलार्थीगण	बनाम	1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीलवाड़ा 2. राजस्थान राज्य जरिए नायब तहसीलदार सुवाणा जिला भीलवाड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नायब तहसीलदार सुवाणा जिला भीलवाड़ा द्वारा जारी नामान्तरण आदेश संख्या 2675 निर्णय दिनांक 12/06/2023

उपस्थित –

1. श्री कन्हैयालाल सेन अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.08.2025

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम सिदडियास पटवार हल्का सिदडियास तहसील भीलवाड़ा में स्थित कृषि भूमि आराजी नम्बर 2116/1208 रकबा 0.3161 व आराजी नम्बर 2232/1209 रकबा 0.1138 कुल किता 2 कुल रकबा 0.4299 हैक्टेयर है। जिसके खातेदार देवा आत्मज लौभा गाडरी निवासी भील मोहल्ला, सिदडियास तहसील एवं जिला भीलवाडा से अपीलार्थीया ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 18/08/2022 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया। जिसके पश्चात् अपीलार्थीया ने नामान्तरण खोलने हेतु विक्रय पत्र की फोटोप्रति मय सभी दस्तावेज पटवारी सिदडियास को प्रस्तुत किए। पटवारी ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 2675 भरा जाकर अपीलार्थीया के नाम पर दर्ज तो कर दिया किन्तु विक्रय पत्र के मुताबिक दर्ज नहीं कर गलत दर्ज क़र दिया गया। विक्रय पत्र में अपीलार्थीया का नाम मुस्कान हिरण पुत्री मुकेश हिरण दर्ज है

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

जिसके खातेदार देवा आत्मज लौभा गाडरी निवासी भील मोहल्ला, सिदडियास तहसील एवं जिला भीलवाडा से अपीलार्थीया ने जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 18/08/2022 को क्रय कर आधिपत्य प्राप्त कर लिया गया। जिसके पश्चात् अपीलार्थीया ने नामान्तरण खोलने हेतु विक्रय पत्र की फोटोप्रति मय सभी दस्तावेज पटवारी सिदडियास को प्रस्तुत किए। पटवारी ने उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 2675 भरा जाकर अपीलार्थीया के नाम पर दर्ज तो कर दिया किन्तु विक्रय पत्र के मुताबिक दर्ज नहीं कर गलत दर्ज कर दिया गया। विक्रय पत्र में अपीलार्थीया का नाम मुस्कान हिरण पुत्री मुकेश हिरण दर्ज है किन्तु पटवारी पटवार हल्का सिदडियास द्वारा अपीलार्थीया का नाम नामान्तरण संख्या 2675 में मुस्कान पुत्री हिरण दर्ज कर दिया गया, जबकि हिरण अपीलार्थीया की जाति है, न कि अपीलार्थीया के पिता का नाम है। अपीलार्थीया के पिता का नाम मुकेश दर्ज करना चाहिए था, किन्तु हिरण दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। पटवारी रिपोर्ट को सही मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सुवाणा द्वारा किसी प्रकार की जांच व तहकीकात किए बिना ही केवल पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को सही मानते हुए नामान्तरण संख्या 2675/12.06.2023 को बिना जांच व तहकीकात के स्वीकृत कर फैसल कर दिया जो गलत है। निवेदन हैं कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सुवाणा द्वारा पारित नामान्तरण संख्या 2675 दिनांक 12/06/2023 को निरस्त फरमाया जाकर विक्रय पत्र के आधार पर अपीलार्थीया के पिता का नाम दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान कराया जाए।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि पटवारी हल्का द्वारा सहवन से अपीलार्थी की जाति हिरण को अपीलार्थी के पिता के नाम पर अंकित कर दिया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा पुनः दस्तावेज पेश करने पर नामान्तरकरण दुरूस्त किया जा सकता हैं।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि पत्रावली पर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उपलब्ध पंजीकृत विक्रय विलेख में अपीलार्थी के पिता का नाम मुकेश हिरण अंकित है। अपीलाण्ट के आधार कार्ड में भी पिता का नाम मुकेश हिरण अंकितशुदा हैं। अतः उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय ने जल्दबाजी में बिना सभी दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण कर निर्णय पारित किया, जो नैसर्गिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होकर विधि विरूद्व प्रतीत होता हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण सं. 2675 निर्णय दिनांक 12.06.2023 विधि विरूद्व होने से व त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य ठहरता हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण सं. 2675 निर्णय दिनांक 12.06.2023 विधि विरूद्व होने से एवं त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलाण्ट की विधिवत सुनवायी की जाकर एवं समस्त दस्तावेजात का पूर्ण परीक्षण किया जाकर अजसिरे निर्णय पारित किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा